न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 107/2024 निर्णय दिनांकः 7-11-2025
(जीसीएमएस संख्या 2024/97)

1. चुनाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी चक 1 के डब्ल्यू एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. रजीराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ठोईया हाल चक 1 के डब्ल्यू एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), छत्तरगढ, जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 06–03–1982
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ, बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री भागीरथ प्रसाद मान, अभिभाषक रेस्पोडेंट
3. श्री मिलापचन्द, अभिभाषक राजकीय

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ, बीकानेर के आदेश दिनांक 06–03–1982 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में आवंटित भूमि वाके चक 1 के डब्ल्यू एम के मुरबा नंबर 156/63 के किला नंबर 7 रकबा 1 बीघा कमाण्ड भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 को आंवटित की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 1 के डब्ल्यू एम के मुरबा नंबर 156/62 के किला नंबर 23 ता 25 रकबा 3 बीघा व मुरबा नंबर 156/63 के किला नंबर 4 ता 7, 13, 14, 17 ता 23 तादादी 13 बीघा कुल 16 बीघा भूमि का आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकान बीकानेर के द्वारा विपेश आवंटन में आवंटन किया गया था, उक्त रकबा अपीलांट के कब्जे काश्त में चला आ रहा है और कब्जे काश्त में होने के कारण उक्त रकबा अन्य को आवंटित नही हो सकता उसके बावजूद उक्त रकबा में से मुरब्बा नंबर 156/63 के किला नंबर 7 रकबा 1 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 1 को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये, बिना सलाहकार समिति की राय के तथा बिना मौका रिपोर्ट लिए गैर कानूनी तरीके से तथा यअपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आवंटन किया है, जिसे किसी भी स्थिति में कायम नहीं रखा जा सकता है। अपीलान्ट ने उक्त रकबा विशेष आवंटन में आवंटित होकर समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाने के उपरांत दिनांक 27–04–1987 को उक्त रकबा की खातेदारी सनद भी प्राप्त कर ली तब से अपीलांट का कब्जा काश्त बदस्तूर जारी है, अदातल मातहत ने इस और बिल्कुल भी ध्यान ना देकर उक्त रकबे की 1 बीघा जमीन रेस्पोडेंट संख्या 1 को आवंटन कर दी गई जो कतई सही नहीं है। अदालत मातहत के द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा ना ही उसे पक्षकार बनाया गया जबकि उक्त रकबा पहले से अपीलान्ट को आवंटित था ऐसी स्थिति में अपीलान्ट उक्त आदेश से प्रभावित पक्षकार होने से उसके अधिकारों का हनन होने के कारण अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की है। अपीलांट अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर चक 1 के डब्ल्यू एम के मुरब्बा नम्बर 156/63 के किला नम्बर 7 रकबा 1 बीघा की हद तक अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद के बिन्दू में कथन किया कि अपीलाट को अपीलाधीन आदेश की कभी जानकारी नहीं थी। दिनांक 21–02–2024 को रेस्पोडेंट संख्या 1 दो तीन अन्य व्यक्तियों के साथ उसके कब्जे काश्त पर आया तथा धमकी दी की यह रकबा हमे आवंटित हो चुका है अतः इसे खाली कर दो तब दुसरे दिन दिनांक 22–02–2024 को अपीलांट उपखण्ड अधिकारी छतरगढ के कार्यालय में गया तो उसे कहा गया कि यह अपील यहा नहीं है आपको बीकानेर में मिलेगी, बाद अपीलांट दिनांक 26–02–2024 को बीकानेर आकर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन अपील पेश करने की दिनांक तक अपीलांट को नकल प्राप्त नहीं हुई अतः बिना अपीलाधीन आदेश के अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट ने जानबूझकर कोई गलती नहीं कि है अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि चक 1 के डब्ल्यू एम के मुरब्बा नंबर मुरबा नंबर 156/63 के किला नंबर 7 अपीलांट को कभी आवंटन हुआ ही नही था, यह किला शुरू से ही रेस्पोडेंट संख्या 1 को आवंटित था। अपीलांट को चक 1 के डब्ल्यू एम के मुरबा नंबर 156/63 में किला नंबर 4 ता 6 आवंटित हुआ था जिसे कूटरचित तरीके से दस्तावेजो में हेरा फेरी कर अंग्रजी भाषा के 6 को हिन्दी भाषा का 7 बता दिया गया तथा खातेदारी सनद प्राप्त कर ली किला नंबर 7 कभी अपीलांट को आवंटन हुआ ही नहीं था। चक 1 के डब्ल्यू एम के मुरबा नंबर 156/63 के किला नंबर 1 ता 3 तथा 7 ता 12 मुझे आवंटन हुआ है। कूटरचित तरीके से दस्तावेजो में हेराफेरी कि गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर उक्त खातेदारी सनद की रिपोर्ट करने वाली संबंधित कर्मचारी व खातेदारी सनद जारी करने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद बिन्दू पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद अवधि गुजरने के बाद प्रस्तुत की है। अपीलांट मियाद के बिन्दू पर किसी भी प्रकार से छुट प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से निरस्त की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06–03–1982 के विरूद्व अपील दिनांक 15–02–2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट् का मियाद बिन्दू पर बहस में मुख्य कथन है कि दिनांक 21–02–2024 को अपीलांट अपने काश्तकारो के साथ खेत में काम कर रहा था तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व तीन–चार अन्य लोग अपीलांट के खेत में आकर उक्त मुरब्बा नम्बर 156/63 के किला नम्बर 7 रकबा 1 बीघा का आवंटन अपने पक्ष में होने का कथन किया। तब अपीलांट को प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानबुझकर देरी कारित नही की है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय अपीलांट की पीठ पीछे जारी किया गया है। अतः इस पारित आदेश एकपक्षीय पारित आदेश की श्रेणी में आता है। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट् की अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा 5 का प्रार्थना पर संलग्न जिसके जवाब में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मय शपथ पत्रों पर विश्वास करते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में न्यायालय को इस बिन्दू पर विचारण किया जाना है कि अपीलाधीन आराजी चक 1 के डब्ल्यु एम के मुरब्बा नम्बर 156/63 का किला नम्बर 7 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सही आवंटित किया गया है अथवा नही?

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस बिन्दू के विनिश्चय हेतु अपीलांट चुनाराम पुत्र पेमाराम तथा रेस्पोडेन्ट रजीराम पुत्र पेमाराम दोनो के मूल आवंटन की पत्रावलियॉ तलब की गई। मूल आवंटन पत्रावली रजीराम पुत्र पेमाराम कमाक 56/1982 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवंटन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 06–03–1982 द्वारा चक 1 केएम डब्ल्यु के मुरब्बा नम्बर 156/63 के किला नम्बर 1 से 3, 7 से 12 कुल 9 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन रजीराम पुत्र पेमाराम को किया गया।

मूल आवंटन पत्रावली चूनाराम पुत्र पेमाराम कम संख्या (कटे हुए)/1982 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवंटन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 29–11–1982 द्वारा चक 1 केएमडब्ल्यु मुरब्बा नम्बर 156/62 के किला नम्बर 23 से 25 तथा मुरब्बा नम्बर 156/63 के किला नम्बर 4 से 6 कुल 6 बीघा का आवंटन चूनाराम पुत्र पेमाराम को किया गया।

दोनो आवंटन पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुरब्बा नम्बर 156/63 के किला नम्बर 7 का आवंटन रेस्पोडेन्ट रजीराम को किया गया था।

अपीलांट चूनाराम की खातेदारी की मूल पत्रावली 128/87 तलब कर इसका परीक्षण किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट चूनाराम द्वारा आवंटित रकबे की खातेदारी लेने हेतु दिनांक 20–04–1987 को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना पत्र में चूनाराम ने चक 1 केएमडब्ल्यु के मुरब्बा नम्बर 156/62 के किला नम्बर 23 ता 25 तथा मुरब्बा नम्बर 156/63 के किला नम्बर 4 ता 6 कुल 6 बीघा की खातेदारी चाही। स्पष्ट है कि इस प्रार्थना पत्र में मुरब्बा नम्बर 156/63 का किला नम्बर 7 का अंकन नही था क्योकि यह भूमि अपीलांट को आवंटित ही नही हुई थी। परन्तु इस प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग में पटवारी की रिपोर्ट अंकित है जिसमें काटछाट किया जाना प्रकट होता है। इस रिपोर्ट में काटछांट करके 6 की बजाय 7 बीघा भूमि आवंटन की रिपोर्ट की गई है। जिस पर दिनांक 27–04–1987 को अपीलांट को आवंटित रकबे के साथ साथ मुरब्बा नम्बर 156/63 के किला

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 7 की भी खातेदारी जारी हो गई। जबकि मुरब्बा नम्बर 156/63 का किला नम्बर 7 कभी भी अपीलांट को आवंटित ही नही किया गया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 156/63 का किला नम्बर 7 रेस्पोडेन्ट को आवंटित हुआ था। यह रकबा कभी भी अपीलांट को आवंटित नही किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा पटवारी की गलत व काटछांट युक्त रिपोर्ट पर खातेदारी आदेश दिनांक 27–04–1987 जारी किये गये जो कि अपीलाधीन रकबा मुरब्बा नम्बर 156/63 किला नम्बर 7 की हद तक निरस्तनीय है। अपीलांट को अपने आवंटन का ज्ञान होते हुए भी गलत तरीके से किला नम्बर 7 की खातेदारी प्राप्त की गई।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–03–1982 यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि गलत रिपोर्ट करने हेतु जिम्मेदार कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर को भिजवाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 7-11-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर